राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर–302015

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– एफ.3 (ख) (वी–46/94)/अलेसे–II/ 128–133 दिनांक :– 16-06-2020

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश सं. 143/2018–19 दिनांक 09.03.2019 के द्वारा श्री विरेन्द्र सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II का स्थानान्तरण कोषालय जालौर से कार्यालय अधिशाषी अभियंता, खण्ड राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) जालौर में श्री कुन्दनमल सुथार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के स्थान पर किया गया। तत्पश्चात् विभागीय शुद्धि पत्र क्रमांक 199 दिनांक 26.06.2019 के द्वारा उक्त आदेश को निरस्त किया गया। इस प्रकार श्री विरेन्द्र सिंह व श्री कुन्दनमल सुथार दोनों का स्थानान्तरण आदेश निरस्त किया गया। उक्त आदेश की पालना में श्री कुन्दनमल सुथार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II द्वारा दिनांक 27.06.2019 को कार्यालय अधिशाषी अभियंता, खण्ड राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) जालौर में कार्यग्रहण कर लिया गया एवं श्री विरेन्द्र सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II ने निदेशालय के आदेश सं. 199 दिनांक 26.06.2019 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट पीटिशन सं. 9225/2019 दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.07.2019 द्वारा विभाग के आदेश दिनांक 26.06.2019 के विरूद्ध स्थगन दिया गया। जिसके फलस्वरूप कार्यालय अधिशाषी अभियंता, खण्ड राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जालौर में एक ही पद के विरूद्ध दो कार्मिकों के पदस्थापित होने से श्री विरेन्द्र सिंह के बकाया वेतन का आहरण नहीं होने की समस्या उत्पन्न हो गई है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय (स्थगन आदेश) दिनांक 01.07.2019 की पालना में अधिशाषी अभियंता, खण्ड राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जालौर में पदस्थापित श्री कुन्दनमल सुथार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II को आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुए कार्यालय कोषाधिकारी, जालौर के यहां अपनी उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया जाता है।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.3 (ख) (वी–46/94)/अलेसे–II/ 128–133 दिनांक :– 16-06-2020

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अधिशाषी अभियंता, खण्ड राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जालौर को प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय (स्थगन आदेश) की पालना में एक ही पद पर दो कार्मिकों के पदस्थापित होने एवं वेतन आदि के भुगतान की समस्या होने के कारण श्री कुन्दनमल सुथार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II को अविलम्ब कार्यमुक्त कर कोषालय जालौर के यहां उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें।
2. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जालौर।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को वेबसाईट पर अपलोड/ पीआईएस में इन्द्राज करने हेतु।
4. श्री विरेन्द्र सिंह, सलेअ–II कार्यालय अधिशाषी अभियंता, खण्ड राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जालौर को पालनार्थ।
5. श्री कुन्दनमल सुथार, सलेअ–II कार्यालय अधिशाषी अभियंता, खण्ड राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जालौर को पालनार्थ।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(मक्खी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)

D:/sasii/himmatji/order.doc